

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी सी-VI सं. 75
आर बी ई सं. 25/09

सं. ई(पी एंड ए)-2008/एएलएल/आरपीएफ-3

नई दिल्ली, दिनांक 06.02.2009

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां इत्यादि।

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना - रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कार्मिकों के संबंध में वर्दी भत्ता, किट अनुरक्षण भत्ता और धुलाई भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

राष्ट्रपति जी, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट के पैरा सं. 4.2.73-76 में की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हैं और रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कार्मिकों के संबंध में वर्दी भत्ता, किट अनुरक्षण भत्ता और धुलाई भत्ता को 01.09.2008 से निम्नानुसार संशोधित करते हैं:-


क्र.सं.	भत्ते की किस्म	भत्ते की मौजूदा दरें	भत्ते की संशोधित दरें
1.	वर्दी भत्ता		
(क)	प्रारंभिक अनुदान	रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. के समूह 'क' अधिकारियों के लिए 6500/- रुपए	रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. के समूह 'क' अधिकारियों के लिए 14000/- रुपए
(ख)	नवीकरण अनुदान	रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. के समूह 'क' अधिकारियों के लिए 3000/- रुपए। नवीकरण अनुदान प्रत्येक सात वर्ष के बाद प्रदान की जाए।	रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. के समूह 'क' अधिकारियों के लिए 3000/- रुपए। नवीकरण अनुदान प्रत्येक 3 वर्ष के बाद प्रदान की जाए।
2.	किट अनुरक्षण भत्ता	रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. के समूह 'क' अधिकारियों के लिए 150/- रुपए प्रति महीने	रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. के समूह 'क' अधिकारियों के लिए 300/- रुपए प्रति महीने
3.	धुलाई भत्ता	अराजपत्रित रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कर्मचारियों के लिए 30/- रुपए प्रति महीने	अराजपत्रित रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कर्मचारियों के लिए 60/- रुपए प्रति महीने

नोट: वे निरीक्षक, जो तदर्थ आधार पर समूह 'क' अधिकारी के रूप में पदोन्नत किए जाते हैं, को उनकी नियमित आधार पर पदोन्नति तक, स्वीकार्य नवीकरण अनुदान 425/- रुपए प्रति वर्ष से 1000/- रुपए प्रति वर्ष तक संशोधित की जाती है।

2. ऊपर विनिर्दिष्ट भत्तों की संशोधित दरें संशोधित पे बैंडों पर देय महंगाई भत्ता के 50% से अधिक होने पर हर बार 25% बढ़ जाएंगी।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।



(चंद्र प्रकाश)
संयुक्त निदेशक स्था.(पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD**

PC VI No. 75
RBE No. 25/09

No. E(P&A)I-2008/ALL/RPF-3

New Delhi, Dated: 06.02.09

The General Managers,
All Indian Railways, Production Units etc.

Sub : Implementation of recommendations of VI Central Pay Commission - Revision of rates of Uniform Allowance, Kit Maintenance Allowance and Washing Allowance in respect of RPF/RPSF personnel.

The President is pleased to accept the recommendations made by the VIth Central Pay Commission in paras No. 4.2.73-76 of the report and to revise the Uniform Allowance, Kit Maintenance Allowance and Washing Allowance in respect of the RPF/RPSF personnel w.e.f. 1.9.2008 as follows:-

S.No.	Type of Allowance	Existing Rates of Allowance.	Revised Rates of Allowance.
1.	Uniform Allowance		
(a)	Initial grant	Rs.6500/- for Group 'A' Officers of RPF/RPSF.	Rs. 14,000/- for Group 'A' officers of RPF/RPSF
(b)	Renewal grant	Rs. 3000/- for Group 'A' Officers of RPF/RPSF. Renewal grant to be granted after <u>every seven years.</u>	Rs.3000/- for Group 'A' Officers of RPF/RPSF Renewal grant to be granted after <u>every 3 years.</u>
2.	Kit Maintenance Allowance.	Rs.150/-p.m. for group 'A' Officers of RPF/RPSF.	Rs.300/- p.m. for Group 'A' Officers of RPF/RPSF
3.	Washing Allowance	Rs.30/-p.m. for non-gazetted RPF/RPSF staff.	Rs.60/-p.m. for non-gazetted RPF/RPSF staff

Note : The Renewal Grant admissible to Inspectors who are promoted as Group 'A' Officers on ad-hoc basis till their promotion on regular basis, is revised from Rs. 425/- per annum to Rs.1000/- per annum.

.....2/-

2. The revised rates of above mentioned allowances will be increased by 25% every time the dearness allowance payable on revised pay bands goes up by 50%.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.


(Chander Parkash)
Joint Director, Estt. (P&A),
Railway Board